

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- प.149/मुसप्र/नवीन पंजी.योजना-पार्ट 3/2012/1188 दिनांक :- 21-1-2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना-पार्ट 3/2012/1070 दिनांक 12.12.2012 के द्वारा विभिन्न शहरों/योजनाओं में "अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम 2012-द्वितीय चरण" के साथ-साथ अन्य वर्गों के लिए "नवीन पंजीकरण योजनाएं" प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति दिनांक 20.12.2012 से 21.01.2013 तक जारी की गयी थी। उक्त तिथि को दिनांक 21.02.2013 तक एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है।

६०
(नलिनी कटोतिया)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर एवं जोधपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(पीएण्डएम0), रा0आ0मं0, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मं0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत्त----- (समस्त)
8. सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0-----
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।

०६
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक.